अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 48/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला वर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री......[illegible]...... वो अंचल निरीक्षक श्री ......[illegible]...... का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा......[illegible]...... थाना नं0......692...... गैरमजरूआ खाता नं0 ......24/26...... दाग नं0 ......32...... रकवा 00-14-17+10 किस्म......परती कदीम...... श्री मति- भागीरथी देवी ...... पिता पति ब्रज मोहन राय ...... साकिन......के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री मति भागीरथी देवी ......को दिनांक...... समय ...... पुर्वाह्न् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल अधिकारी,
महागामा।

2 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस प्राप्त। श्री मोहन ... द्वारा नोटिस में प्रतिवेदित किया है कि भागीरथी देवी पति ब्रज मोहन राय के ... कोई पीढ़ी नहीं रहता है

28/6/18 अभिलेख उपस्थापित।
पुनः नोटिस निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
महागामा

sandh...

10/12/22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, महागामा से प्रश्नगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार आवेदक — संदेहास्पद पंजी-II रैयती की भूमि ECL क्षेत्र कोल अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है। अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित।
10/12/22
अं० अ०
महागामा

10/12/2022
अंचल अधिकारी
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :— अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ...48.... / 2016—17 श्रीमती भागीरथी देवी पति मित्ता—ब्रजमोहन राम........, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ....48...... / 2016—17 श्रीमती भागीरथी देवी पति मित्ता—ब्रजमोहन राम...... ...., का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा—बसुआ, थाना नं0—692 के गैरमजरूआ खाता सं0—24 / 26... के अंदर दाग नं0—32 का अंश रकवा 00-18-17-10........ धूरकी किस्म— परती—कदीम अंचल अधिकारी, महागामा / अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के .... केश नं0—.. के माध्यम से श्रीमती भागीरथी देवी पति मित्ता—ब्रजमोहन राम .... को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2022.12.10 21:09:56 +05:30
Location: 192.168.184.28

F:PK/520

Scanned with Cam